

फैला

संख्या—137) / 1-10-2013-12(65) / 2012

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीरनगर।
राजस्व अनुभाग-10

लेखनऊ : दिनांक : ३० मार्च, 2013

विषय:-वर्ष 2012-13 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु ₹0 50.00 लाख तक के जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा विभिन्न विभागों के अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके विभिन्न पत्रों द्वारा मांगी गयी धनराशि कुल धनराशि ₹0 4,09,38,000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि ₹0 2,04,69,000/- (रुपये दो करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	विभाग का नाम/कार्यदायी संस्था का नाम	जिलाधिकारी कार्यालय संतकबीरनगर का सन्दर्भ	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/कार्यों की संख्या	मांगी गयी धनराशि (₹0 में)	अवमुक्त धनराशि (₹0 में)
1	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, संतकबीरनगर	494 / राहत लिपिक / बजट आवंटन / संतकबीरनगर, दि 021.03.13	08	2,92,16,000	1,46,08,000
2	अधिशासी अभियंता, प्रांखो, लोनोनिवि, संतकबीरनगर	101(1) / राहत लिपिक / बजट आवंटन / संतकबीरनगर, दि 04.03.13	03	30,22,000	15,11,000
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोनोनिवि, संतकबीरनगर	102 / राहत लिपिक / बजट आवंटन / संतकबीरनगर, दि 06.03.13	10	87,00,000	43,50,000
			21	4,09,38,000	2,04,69,000

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययके अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समर्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं 2660 / 1-10-2012-रा०-10-33(171) /2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक कार्यों का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८ / पी०ए०स०आ०० / २०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७ / २०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मदों एवं शासनादेश सं० २७८५ / १-१०-२०११-१२(७३) / २००८, दिनांक १४.०५.२०११, शासनादेश सं० १३४१-१०-२०१२ -१२(७३) / २००८, दिनांक १७.०५.२०१२ के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ रखा जाए।

7. क्षेत्रिक प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सज्गता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-रा०-11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संख्या : 1371 (1)/1-10-2013-12(65)/2012, तददिनांक

भवदीय,
 (एल० वेंकटेश्वरलू)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
 - 2— आयुक्त, बर्ती मण्डल, बर्ती/प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन/प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 - 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
 - 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
 - 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
 - 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
 - 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
 - 10— गार्ड फाइल।

आक्षर से
 (विनोद कुमार शर्मा)
 अनु सचिव।